बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–27/2021(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–...............................

डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर, गया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष–2015–16 में जेनरेटर संचालक को कुल 1,33,717/–रू० की अधिक भुगतान करने के आरोप मे विभागीय संकल्प सं0–1419(9) दिनांक–26.11.2019 एव संशोधित संकल्प सं0–975(9) दिनांक–10.09.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक–241(9) दिनांक–06.05.2022 द्वारा डॉ0 सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की मॉग की गयी।

3. डॉ0 सिह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में एकरारनामा के अधीन सचालक को भुगतान करने का उल्लेख किया गया। विद्युत कम्पनी से माहवार विवरणी अनुपलब्ध रहने, भौगोलिक संरचना के कारण विद्युत आपूर्ति रहने, दिसम्बर 2014 मे विद्युत कनेक्शन अधिष्ठापित करने एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिजली मीटर नहीं रहने का उल्लेख किया गया है।

4. सिविल सर्जन, गया के पत्राक–772 दिनांक–28.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि डॉ0 सिंह द्वारा मार्च 2015 से फरवरी 2016 में जेनरेटर संचालक को कुल 6,64,717/–रू० का भुगतान किया गया। आयुक्त के सचिव, मगध प्रमण्डल, गया के पत्रांक–1099 दिनाक–26.06.2019 से ज्ञात है कि डॉ0 सिह द्वारा उक्त अवधि में जेनरेटर संचालक कुल–1,33,717/– रू० का अधिक भुगतान किया गया है।

5. डॉ0 सिह दिनाक–31.01.2021 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गए। फलस्वरूप संशोधित संकल्प सं0–1088(9)(क) दिनाक–04.10.2023 के द्वारा उनके सेवाकाल मे संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरांत डा0 सिंह के विरूद्ध सचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप के आलोक में उनके पेंशन की स्वीकृति की तिथि से 5% (पॉच प्रतिशत) की राशि 02 (दो) वर्षो तक कटौती करने का विनिश्चय किया गया। उक्त अधिरोपित शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3462 दिनाक–10.12.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

7. तदालोक में डॉ0 सिंह के विरूद्ध जेनरेटर संचालक को कुल–1,33,717/–रूपये की अधिक भुगतान करने के प्रमाणित आरोप के लिए उनके पेंशन स्वीकृति की तिथि से 05% (पॉच) प्रतिशत पेंशन की राशि 02 (दो) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश स
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–27/2021(स्वा0) 61(9) **/पटना, दिनांकः–** 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/2025

(15)

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुर, गया सम्प्रति सेवानिवृत्त वर्तमान पता— C/o सुरेन्द्र कुमार सिंह, (सेवानिवृत डी०एस०पी०) राजीव नगर, रोड नं0—6 केशरी नगर, पटना—24 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025
सरकार के अवर सचिव।